

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, कोटा, जिला कोटा (राज0)

पीठासीन अधिकारी : वीरेन्द्र सिंह यादव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 13/2025 (गुण्डा एक्ट)
जी.सी.एम.एस. नं. - 2025/49

उनवान

राज्य सरकार जयें थानाधिकारी पुलिस स्टेशन इटावा जिला कोटा
ग्रामीण (राज0)

बनाम

सुरेश महावर पुत्र जगन्नाथ जाति महावर निवासी वार्ड न. 19 इटावा थाना
इटावा, जिला कोटा

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 (1)

राजस्थान गुण्डा

नियंत्रण अधिनियम, 1975

निर्णय दिनांक : 25/02/26

थानाधिकारी पुलिस स्टेशन इटावा जिला कोटा ग्रामीण की ओर से जयें पुलिस अधीक्षक, जिला कोटा (ग्रामीण) यह इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 (1) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 में कार्यवाही हेतु इस आशय के साथ पेश किया गया कि गैरसायल सुरेश महावर पुत्र जगन्नाथ जाति महावर निवासी वार्ड न. 19 इटावा थाना इटावा, जिला कोटा थाना क्षेत्र में अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तथा जुआ अध्यादेश अधिनियम के अन्तर्गत अपराध करने का आदी है, तथा उक्त अपराध को करने में थाना क्षेत्र में आतंक बनाकर रखता है। गैरसायल की उक्त गतिविधियों से आम जन आतंकित होकर भयग्रस्त रहते हैं। जिससे उसके क्षेत्र में निवास करने वाले साक्षी लोग उसके विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए आगे आने के इच्छुक नहीं रहते हैं। साक्ष्य देने की स्थिति में अपने आपको असुरक्षित महसूस करते हैं। गैरसायल के विरुद्ध आपराधिक रिकार्ड निम्न है।

क्र. स.	प्रकरण संख्या	धारा	चार्जशीट न0 व दिनांक	न्यायालय निर्णय
1.	350 / 12.8.24	13 आरपीजीओ	316 / 31.08.24	100 रु जुर्माना 25.09.2024
2.	437 / 14.10.24	13 आरपीजीओ	461 / 11.12.24	100 रु जुर्माना 23.12.23

अतः सुरेश महावर पुत्र जगन्नाथ जाति महावर निवासी वार्ड न. 19 इटावा थाना इटावा, जिला कोटा के विरुद्ध इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3(1) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है। गैरसायल सुरेश महावर पुत्र जगन्नाथ जाति महावर निवासी वार्ड न. 19 इटावा थाना इटावा, जिला कोटा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी गैरसायल की गई।

उक्त गैरसायल को सारवान आरोपों को अभिलिखित करते हुए नोटिस दिया गया। बाद तामील नोटिस प्राप्त हुआ गैरसायल बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से न्यायालय का यह मत है कि गैरसायल उक्त संबध मे कोई सुनवाई नही चाहता है। अतः थानाधिकारी इटावा द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अति. जिला कलक्टर
कोटा

पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस्तगासा में वर्णित उक्त '13 आरपीजीओ के 2 अभियोग में गैरसायल को न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध एवं अर्थदण्ड से दण्डित करने की स्थिति विद्यमान है। जिसके लिए पेरोकार सरकार द्वारा गैरसायल की गतिविधियां आमजन के लिए घातक होना कथन करते हुए गैरसायल को जिला बदर किये जाने की प्रार्थना की गई। गैरसायल को इस इस्तगासा प्रकरण में वर्णित 13 आरपीजीओ : प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध एवं अर्थदण्ड से दण्डित 0 की प्रमाणिक स्थिति विद्यमान होने के कारण गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 (1) के अन्तर्गत गुण्डा परिभाषित है। जिसके फलस्वरूप राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 की उपधारा 1 (ए) (बी) तथा (सी) के अन्तर्गत वर्णित स्थिति विद्यमान होना पाते हुए गैरसायल को जिला बदर किया जाना उचित समझते हैं।


अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार सुरेश महावर पुत्र जगन्नाथ जाति महावर निवासी वार्ड न. 19 इटावा थाना इटावा, जिला कोटा को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 (3) के अन्तर्गत 15 दिन के लिए थाना इटावा जिला कोटा की सीमा से जिला बारा के लिए निष्कासित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। गैरसायल इस समयावधि में जिला कोटा की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा, नेकचलन रहेगा तथा निष्कासन अवधि के दौरान आने वाले प्रत्येक सोमवार को अपनी उपस्थिति तथा गतिविधियों की जानकारी थानाधिकारी, थाना सीसवाली जिला बारा को प्रस्तुत करेगा। थानाधिकारी थाना सीसवाली जिला बारा गैरसायल की गतिविधियों पर निगरानी रखेंगे। गैरसायल की उक्त 15 दिवस की निष्कासन अवधि 20 दिन पश्चात अर्थात् दिनांक 26/3/2026 से प्रारम्भ होगी। थानाधिकारी थाना इटावा जिला कोटा ग्रामीण उक्त गैरसायल सुरेश महावर पुत्र जगन्नाथ जाति महावर निवासी वार्ड न. 19 इटावा थाना इटावा, जिला कोटा को दिनांक 26/3/2026 को पुलिस अभिरक्षा में थाना इटावा जिला-कोटा (ग्रामीण) की सीमा से थाना सीसवाली जिला बारा की सीमा में पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। थानाधिकारी, सीसवाली जिला बारा उक्त गैरसायल की उपस्थिति की सूचना तथा निष्कासन अवधि समाप्त होने पर थानाधिकारी इटावा जिला कोटा (ग्रामीण) गैरसायल के वापस थाना क्षेत्र इटावा जिला कोटा (ग्रामीण) में लोटने की सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 26/2/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा



(वीरेन्द्र सिंह यादव)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
कोटा, जिला कोटा
आ.स. कलक्टर
कोटा



न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, कोटा, जिला कोटा

क्रमांक: रीडर/ए.डी.एम./2026/ 341-42
प्रेषित :-

दिनांक: 5/03/2026

1. थानाधिकारी इटावा जिला कोटा
2. थानाधिकारी सीसवाली जिला बारां

विषय :- प्रकरण संख्या: 13/2026 (गुण्डा एक्ट) राज्य सरकार जयें थानाधिकारी पुलिस स्टेशन इटावा जिला कोटा (राज0) बनाम गैरसायल सुरेश महावर पुत्र जगन्नाथ जाति महावर निवासी वार्ड न. 19 इटावा थाना इटावा जिला कोटा ग्रामीण में पारित निर्णय दिनांक 26.02.2026 की प्रति भिजवाने बाबत।

—0—

विषयान्तर्गत उल्लेखित प्रकरण संख्या: 13/2026 (गुण्डा एक्ट) राज्य सरकार जयें थानाधिकारी पुलिस स्टेशन इटावा जिला कोटा (राज0) बनाम गैरसायल सुरेश महावर पुत्र जगन्नाथ जाति महावर निवासी वार्ड न. 19 इटावा थाना इटावा जिला कोटा ग्रामीण में पारित निर्णय दिनांक 26.02.2026 की प्रमाणित फोटो प्रति वास्ते सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना की जाकर पालना रिपोर्ट प्रेषित की जावे।
संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीय

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
कोटा, जिला कोटा

olc

क्रमांक: रीडर/ए.डी.एम./2026/ 343-44

दिनांक: - 5/03/2026

प्रतिलिपी- श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, कोटा ग्रामीण, जिला कोटा/बारां जिला बारां को निर्णय की छाया प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
कोटा, जिला कोटा

olc